न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी: बीना महावर, आर0ए0एस0)

अपील संख्या 14/2012

प्रयागोदेवी पत्नी श्री विजयसिंह पुत्री धूरियासिंह जाति ठाकुर निवासी रूदावल तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. रघुवीर पुत्र अतरसिह } जाति गूर्जर निवासी वरोदा तहसील बयाना जिला भरतपुर।
2. गिरधर पुत्र वनयसिंह }
3. रामजीलाल पुत्र मवासी जाति काछी निवासी रूदावत तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
4. धनसिंह (मृतक)

4/1. पप्पू } पुत्रान धनसिंह
4/2. कप्तान }
4/3. चन्दर }
4/4. मीना } पुत्रीयान धनसिंह
4/5. पुष्पा }
4/6. गुड्डी }
4/7. श्रीमती कलवो बेवा धनसिह

} अकवाम कुशवाह निवासीयान रूदावल तहसील रूपवास जिला भरतपुर

.....रेस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व आदेश नायव तहसीलदार रूपवास नामान्तरकरण संख्या 3252 दिनांक 08.12.2010 वाकै ग्राम रूदावल।

उपस्थित :– 1. श्री चन्द्रमोहन गुप्ता अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री दुलीचन्द शर्मा, अभिभाषक रैस्पो0

निर्णय

दिनांक : 24.02.2021

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

अपीलान्ट ने यह अपील विरूद्व रैस्पोडेन्ट व खिलाफ आदेश नामान्तरकरण संख्या 3252 दिनांक 08.12.2010 पेश की गई है। नामान्तरकरण संख्या 3252 बयनामा के आधार पर रैस्पो0 संख्या 1 व 2 के नाम खोला जाकर स्वीकार किया गया है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रैस्पो0 की तलबी की गई। योग्य उभयपक्ष उभयपक्ष की बहस सुनी गई। उभयपक्ष की ओर से लिखित बहस भी पेश की गई जो शामिल मिसिल की गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने तर्को में अपील में अंकित कथनो को दोहराते हुये जाहिर किया कि अपीलाधीन आदेश नामान्तरकरण संख्या 3252 विकय पत्र के आधार पर नायव तहसीलदार रूपवास द्वारा स्वीकार किया गया जो गलत है। उन्होने बताया कि राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 11.09.1957 के अनुसार नामान्तरकरण ग्राम पंचायत द्वारा ही तस्दीक किये जा सकते है। नायब तहसीलदार रूपवास ने क्षेत्राधिकार के बाहर अवैध रूप से नामान्तरकरण स्वीकार किया है जो निरस्त किया जावे। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट का यह भी तक है कि विवादित आराजी गैरमुमकिन चाह है जिसकी खातेदारी डिक्लेरेशन के लिए दावें विचाराधीन है। विवादित आराजी पर विकेता का कब्जा नहीं है बल्कि अपीलान्ट का कब्जा है। कब्जे के बाबत कोई जांच नहीं की गई है। अपील स्वीकार की जाकर नियम विरूद्व स्वीकार किये गये अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 15.02.2012 को हुई उसी दिन नकल प्राप्त कर अपील जानकारी दिनांक से अन्दर म्याद पेश की गई है। देरी को माफ करने के लिये दफा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया गया है। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने कथनो के समर्थन मे आर.आर.डी. 2002 पेज 338 उद्धरित की।

योग्य अभिभाषक रैस्पो0 ने अपने तर्को मे जाहिर किया कि आराजी को रजिस्टर्ड बयनामा से खरीद की गई है। विकेता खातेदार काश्तकार है। बयनामा के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज कराने हेतु ग्राम पंचायत में हमने प्रार्थना पत्र दिया था। ग्राम पंचायत ने राजनैतिक प्रभाव के चलते नामान्तरकरण दर्ज नही करने पर हमने तहसीलदार को प्रार्थना पत्र दिया जिस पर उन्होने हमारा नामान्तरकरण दर्ज किया। योग्य अभिभाषक रैस्पो0 का यह भी तर्क है कि अगर ग्राम पंचायत नामान्तरकरण दर्ज नही करती है तो तहसीलदार को प्रार्थना

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

पत्र देकर नामान्तरकरण दर्ज कराने में कोई कानूनी अडचन नहीं है। तहसीलदार को नामान्तरकरण दर्ज करने का अधिकार है। उसने कोई गलती नहीं की है। जिस बयनामा के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज किया गया है वह किसी भी सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं कराया गया है। नामान्तरकरण दर्ज करने की तारीख को किसी भी न्यायालय द्वारा कोई स्थगन आदेश नहीं था। अपीलान्ट का विवादित आराजी से कोई लेना देना नहीं है। इसे अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। तहत न्यायालय ने सही कार्यवाही कर अपीलाधीन आदेश नियमों के तहत पारित किया है। उन्होने अपने कथनों के समर्थन में आर. बी.जे. 2002 पेज 549 उद्धरित करते हुये अपील खारिज किये जाने की प्रार्थना की है।

हमने पत्रावली का अध्ययन किया गया। योग्य अभिभाषक उभयपक्षों के कथनों पर गौर किया। विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों का ससम्मान अध्ययन किया गया। प्रथमतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम पर विचार किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। अपील को अन्दर म्याद माना जाकर प्रकरण का मैरिट पर विचार किया गया। अपीलाधीन आदेश नामान्तरकरण संख्या 3252 का अवलोकन किया गया। नामान्तरकरण के कॉलम संख्या 14 में हो रहे इन्द्राज से स्पष्ट है कि विवादित नामान्तकरण पंजीकृत बयनामा के आधार पर दिनांक 18.11.2010 को दर्ज किया जाकर दिनांक 08.12.2010 को स्वीकार किया गया है। नामान्तरकरण स्वीकार किये जाने की दिनांक को किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश होने का दस्तावेजी साक्ष्य पत्रवाली पर नहीं है। अपीलान्ट की प्रमुख आपत्ति है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिये था। जैसा कि राज्य सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 04.09.1982 द्वारा ग्राम पंचायतों को नामान्तरकरण सम्बन्धी कार्यवाही करने के लिये अधिकृत किया गया है। राज्य सरकार के उक्त नोटिफिकेशन के अवलोकन से सपष्ट है कि अविवादित नामान्तरकरण के सम्बन्ध में अधिकार ग्राम पंचायतों को देकर तहसीलदार के अधिकार 45 दिन के लिये रोक लिये गये है। उक्त अधिसूचना के प्रथम पैरा में तहसीलदार के नामान्तरकरण सम्बन्धी अधिकार ग्राम पंचायत द्वारा भी काम लिये जायेगें। नामान्तरकरण की शक्तियाँ तहसीलदार को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135(1) में प्रदत्त हैं। नामान्तरकरण अगर ग्राम पंचायत नामान्तरकरण कार्यवाही नहीं करती है तो ऐसी परिस्थिति में तहसीलदार को नामान्तरकरण करने का क्षेत्राधिकार हैं। विवादित नामान्तरकरण ग्राम पंचायत

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

को पेश किया गया या नहीं किया गया पत्रावली में स्पष्ट नहीं है। अपीलाधीन नामान्तरकरण रजिस्टर्ड वयनामा के आधार पर स्वीकार किया गया है। उपरोक्त सभी तथ्यों के आधार पर अपील खारिज योग्य रहती है।

अतः आदेश है कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति तहसीलदार रूपवास भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2021 को सुनाया गया।

(बीना महावर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)